"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च 2018—फाल्गुन 25, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शीतल सोना ध. प. स्व. लाला सोना, जाति-डोम, उम्र 35 वर्ष, निवासी-भाटापारा, वार्ड नं.-21, शिवाजी चौक, भिलाई, चरोदा, तहसील पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरी पुत्री कामिनी सोना के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में उसका नाम कामिनी कोष्टा आत्मजा स्व. लाला कोष्टा दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर सही नाम/ उपनाम कु. कामिनी सोना रख ली हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मेरी पुत्री को कु. कामिनी सोना आ. स्व. लाला सोना के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कामिनी कोष्टा पिता-स्व. लाला कोष्टा निवासी-भाटापारा, वार्ड नं.-21, शिवाजी चौक, भिलाई, चरोदा, तहसील- पाटन जिला-दुर्ग (छ. ग.)	कु. कामिनी सोना पिता-स्व. लाला सोना निवासी-भाटापारा, वार्ड नं.-21, शिवाजी चौक, भिलाई, चरोदा, तहसील- पाटन जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शीतल सोना ध. प. स्व. लाला सोना, जाति-डोम, उम्र 35 वर्ष, निवासी-भाटापारा, वार्ड नं.-21, शिवाजी चौक, भिलाई, चरोदा, तहसील पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरी पुत्री रिया सोना के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में उसका नाम रिया कोष्टा आत्मजा स्व. लाला कोष्टा दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम कु. रिया सोना आत्मजा स्व. लाला सोना रख ली हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कु. रिया सोना आ. स्व. लाला सोना के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

रिया कोष्टा
पिता-स्व. लाला कोष्टा
निवासी-भाटापारा, वार्ड नं.-21,
शिवाजी चौक, भिलाई, चरोदा,
तहसील- पाटन
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कु. रिया सोना
पिता-स्व. लाला सोना
निवासी-भाटापारा, वार्ड नं.-21,
शिवाजी चौक, भिलाई, चरोदा,
तहसील- पाटन
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पंकज द्विवेदी आत्मज श्री शिव कुमार द्विवेदी उम्र 42 वर्ष, जाति-ब्राम्हण निवासी-पदुम नगर, वार्ड नं. 17, भिलाई-3 पो.-पुरानी भिलाई, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा सही व वास्तविक नाम पंकज द्विवेदी आ. श्री शिव कुमार द्विवेदी है जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ आवश्यक शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा नाम पंकज कुमार द्विवेदी दर्ज हो गया है जो त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम पंकज द्विवेदी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे पंकज द्विवेदी आ. श्री शिव कुमार द्विवेदी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

पंकज कुमार द्विवेदी
पिता-श्री शिव कुमार द्विवेदी
निवासी-पदुम नगर, वार्ड नं. 17
भिलाई-3 पो.-पुरानी भिलाई,
तहसील-पाटन
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

पंकज द्विवेदी
पिता-श्री शिव कुमार द्विवेदी
निवासी-पदुम नगर, वार्ड नं. 17
भिलाई-3 पो.-पुरानी भिलाई,
तहसील-पाटन
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दयाराम पटेल आत्मज श्री सामजी भाई पटेल, निवासी-B-14, सेक्टर-3, देवेन्द्र नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम वासुदेव पटेल (Vasudev Patel) था जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में दर्ज है मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम वैभव पटेल (Vaibhav Patel) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को वैभव पटेल आ. श्री दयाराम पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
वासुदेव पटेल (Vasudev Patel) पिता-श्री दयाराम पटेल निवासी-B-14, सेक्टर-3, देवेन्द्र नगर, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	वैभव पटेल (Vaibhav Patel) पिता-श्री दयाराम पटेल निवासी-B-14, सेक्टर-3, देवेन्द्र नगर, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 29 जनवरी 2018

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि. 2018/271 .—वस्तुत : महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पचपेड़ी, पं. क्र. 301 दिनांक 10-08-2011 विकास खण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालय कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/148 दिनांक 11-01-2016 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत. श्री आर. सी. ध्रुव सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/ 15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पचपेड़ी, पं. क्र. 301 दिनांक 10-08-2011 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-1-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 29 जनवरी 2018

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि. 2018/275 .—वस्तुत : वैकंटेश्वर महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मटियारी, पं. क्र. 341 दिनांक 15-09-2015 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालय कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1215 दिनांक 08-04-2016 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत. श्री अरूण शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को परिसमापक नियुक्त किया गया था, किन्तु के स्थानांतरण पश्चात उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर श्री जी. पी. बिन्द सहकारी निरीक्षक, को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. उक्त संबंध में संस्था बोर्ड के सदस्यों द्वारा संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् वैकंटेश्वर महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मटियारी, पं. क्र. 341 दिनांक 15-09-2015 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-1-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.